70

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
जिला ग्वालियर

प्र. क्र.   /निगरानी/791/I/2012

सुखराम पुत्र श्री गनपति निवासी ग्राम नया घनश्यामपुरा तहसील जिला भिण्ड ....प्रार्थी

बनाम

~~1. म0प्र0 शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड गोहद जिला भिण्ड....प्रतिप्रार्थी~~

2. किशनस्वरूप
3. शिवनारायण
4. मानसिंह
5. हरिओम पुत्रगण स्व0श्री शुकरू
6. नरेन्द्र
7. देवेन्द्र पुत्रगण स्व0श्री रामसेवक
8. गंगाराम
9. मुकेश
10. बंटी पुत्रगण स्व0श्री गंगाराम
11. श्रीमती कमला बेवा पत्नी श्री गंगाराम
12. श्री रामप्रकाश
13. श्री रामगोपाल पुत्रगण कैलाश समस्त जाति जाटव निवासीगण नया घनश्यामपुरा गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड..... ~~फॉरमल प्रतिप्रार्थी~~

<u>म0प्र0 भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक–51/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.02.2012 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी</u>

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, ग्राम गोहद तहसील व जिला भिण्ड में स्थित भूमि सर्वे कमांक 775/2 रकवा 3 बीघा, में हिस्सा 1/4 भाग प्रार्थी ने तुलासी पुत्र श्री सुन्दरलाल से जर्ये रजिस्र्टड विक्रय पत्र दिनांकी 17.02.69 को क्रय किया था तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में अंकित हुआ था प्रार्थी के हक में किये गये विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है और राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार नही है तथा प्रार्थी के हक में किये गये नामांतरण आदेश को अपील अथवा पुनर्राअवलोकन के पश्चात ही अनुविभागीय अधिकारी गोहद को प्रार्थी के हक में नामांतरण किये गये आदेश को निरस्त करने का अधिकार था परन्तु अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा विधि व प्रक्रिया का पालन किये बगैर ही प्रार्थी का नाम काटे जाने का जो आदेश पारित किया था उक्त आदेश

क्रमशः.......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 791–एक/2012 जिला–भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2.–17	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री डी0के0 शुक्ला उपस्थित। 2/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 51/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 23–02–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का अवधि अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र को जिस आधार पर निरस्त किया है उक्त आधार अवधि अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि राजस्व मण्डल द्वारा कई प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां कोई आदेश हितधारी पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर उसके पीठ पीछे पारित किया जाता है तब ऐसे आदेश के विरूद्ध जानकारी के	

आधार पर अपील प्रस्तुत की जा सकती है और विलम्ब को क्षमा किया जाना चाहिये। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी उक्त भूमि का भूमिस्वामी था और अनुविभागीय अधिकारी, गोहद द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्रार्थी के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है। उक्त आदेश की जानकारी होने पर प्रार्थी इस न्यायालय में जानकारी के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 48 के तहत जिस आदेश को चुनौती दी है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश ही नहीं की गई और न ही प्रमाणित प्रतिलिपि पेश न करने से अभिमुक्ति देने वाबत कोई आवेदन पत्र ही पेश किया है। रे0नि0 1986 पृष्ठ 257 कैलाशचन्द्र विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य में राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया, जिसके विरूद्ध अपील, पुनरावलोकन या पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जाये। ऐसी प्रतिलिपि " प्रमाणित " ही होना चाहिये। ऐसी प्रतिलिपि के बिना उसे विधिवत उपस्थापित किया गया नहीं माना जायेगा। ऐसी अपील या याचिका

अग्राह्य होगी। रहा प्रश्न विलंब क्षमा किये जाने का तो आवेदक द्वारा लगभग 47 वर्ष बाद इस न्यायालय में यह निगरानी पेश की गई है। इतने अधिक विलंब को माफ करने बावत अवधि विधान की धारा 5 के तहत आवेदन पत्र का लाभ आवेदक को नहीं दिया जा सकता। इसी आधार अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने आवेदक के द्वारा अवधि विधान के आवेदन पत्र को निरस्त किया है, जो की उचित निर्णय है।

6/ अतएव अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है और आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। अभिलेख वापस हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य